

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-16/2014 164 (आवंटन)/कृ0, पटना, दिनांक 18-11-2014
प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक, गया/संयुक्त कृषि निदेशक, पटना/उप कृषि निदेशक, तेलहन बिहार, पटना/अभियंत्रण बिहार, पटना/प्रक्षेत्र पूर्णियाँ/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गया सदर/ मुंगेर/शेरघाटी/शिवहर/नवगछिया/भागलपुर/जमुई/मदौरा/बेगुसराय/कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, भोजपुर/पूर्णियाँ/नवादा/परियोजना पदाधिकारी दियारा विकास परियोजना बिहार, पटना/भूमि संरक्षण पदाधिकारी गया।

विषय : योजनाओं को प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष, 2014-15 में कुल ₹6,49,44,000 (छः करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए ₹94,16,880 (चौरानवे लाख सोलह हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु ₹6,77,700 (छः लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ रु० मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2448 दिनांक-30.05.2014 द्वारा योजनाओं को प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष, 2014-15 में कुल ₹6,49,44,000 (छः करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए ₹94,16,880 (चौरानवे लाख सोलह हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-30 (आवंटन) दिनांक-16.06.2014 द्वारा मो. 35,58,780 रु० एवं पत्रांक-128 (आवंटन) दिनांक-21.10.2014 द्वारा मो० 20,21,660 रु० आवंटित की जा चुकी है।

पुनः उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि से व्यय हेतु ₹6,77,700 (छः लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ रु० मात्र) संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित ₹6,77,700 (छः लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ रु० मात्र) की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०-01-उपशीर्ष-0129-परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण नई राज्य योजना कार्यक्रम, विषयशीर्ष-51 01-मोटरगाड़ी विपत्र कोड-P2401007890129 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक -25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. व्यय का सत्यापन महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय से कराने के बाद प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

164 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 18-11-2014

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

2.

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक

ज्ञापांक

164 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 18-11-2014

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि :

विवरणी सहित संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, (पी0 पी0 एम0), बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना)/आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रजि

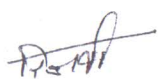
सरकार के संयुक्त सचिव।

आवंटन विवरणी

बजट-शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन-मांग
सं0-01-उपशीर्ष-0106-परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण नई राज्य योजना कार्यक्रम
विषयशीर्ष-5101-मोटरगाड़ी अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए विपत्रकोड-P2401007890129 के अंतर्गत वित्तीय

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत भाड़े के वाहन की संख्या	स्वीकृत राशि सामान्य वर्ग के लिए	विभागीय पत्रांक-30 (आवंटन) दिनांक-16.06.2014 द्वारा पूर्व में आवंटित राशि (रु० में)	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त कृषि निदेशक, मगध प्रमंडल गया।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
2	संयुक्त कृषि निदेशक, पटना।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
3	उप कृषि निदेशक, तेलहन बिहार,पटना।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
4	उप कृषि निदेशक, अभियंत्रण बिहार,पटना।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
5	उप कृषि निदेशक प्रक्षेत्र पूर्णियां।	1	57,420		57,420	57,420
6	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गया सदर।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
7	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शेरघाटी गया।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
8	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शिवहर।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
9	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नवगछिया।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
10	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भागलपुर।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
11	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जमुई।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
12	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मढ़ौरा।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
13	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुंगेर।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
14	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बेगुसराय।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
15	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी भोजपुर।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
16	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी पूर्णियां।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
17	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी नवादा।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
18	परियोजना पदाधिकारी दियारा विकास परियोजना बिहार, पटना।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
19	भूमि संरक्षण पदाधिकारी गया।	1	57,420	22,960	34,460	57,420
	कुल	19	10,90,980	4,13,280	6,77,700	10,90,980

कुल-छः लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ रुपये मात्र।



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।